न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 28 / 2018

शीर्षक

1. गंगाराम
2. बक्शाराम
3. रामसहाय
4. बलदेव

} पि0 पोखर जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. जीवनराम
2. बंशीधर
3. छोटूराम
4. बाबूलाल
5. रमकी
6. धन्नी
7. कमली
8. फूली
9. आची
10. सीता

} पि0 स्व0 गोविन्दा

11. राजू पुत्र स्व0 शिवसहाय
12. रामस्वरूप स्व0 शिवसहाय
13. झूमा देवी पत्नी स्व0 शिवसहाय
14. घीसालाल पुत्र सेडू
15. बनवारीलाल पुत्र जवाहरलाल
16. रामकुंवार पुत्र पुत्र जवाहरलाल
17. मुकेश पुत्र पुत्र जवाहरलाल
18. मनभरी पत्नी जवाहरलाल
19. मंजू पुत्री जवाहरलाल
20. भागोती पुत्री जवाहरलाल
21. हंसाराम पुत्र पोखर
22. रामेश्वर पुत्र सुवालाल
23. प्रहलाद पुत्र सुवालाल
24. रामलाल पुत्र सुवालाल
25. सेडी देवी पत्नी सुवालाल
26. हरि पुत्र भगवाना
27. श्रवण पुत्र भगवाना
28. मंजू पुत्री भगवाना
29. झूमा देवी पत्नी भगवाना
    समस्त व्यस्कए जाति जाटए निवासी शिवसिंहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 16-9-22

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संक्षेप में निम्न प्रकार है हाल आराजी खसरा नम्बर 928 लगायत 935, 937 कुल किता 9 रकबा 2.54 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी घीसा पुत्र नारायण का हिस्सा 1/2 एवं शेष 1/2 हिस्सा के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। सहखातेदार शिवसहाय फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादी संख्या–11 लगायत 13 वारिस है। जिन्होने उनके हिस्से की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त की है तथा सहखातेदार तीजा देवी पत्नी गोविन्दा फौत हो चुकी है जिसके प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 13 वारिसान है जिन्होने मृतक तीजा के हिस्से की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त की है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

2. वाद पत्र के जिमन संख्या–1 में वर्णित आराजी को वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है वादी संख्या 3 व 4 ने अपने हिस्से की भूमि में आवास एवं कृषि पैदावार रखने के लिए पुख्ता मकानात खसरा नम्बर 935 में बना रखे है तथा उक्त खसरा नम्बर 935 में अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई के लिए व पानी पीने के लिए बोरिंग करा रखा है तथा उसमे कृषि विद्युत कनेक्शन लगा रखा है तथा मकान में घरेलू कनेक्शन ले रखा है।

3. वाद संख्या के जिमन संख्या–1 में वर्णित आराजी में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित 12 फुट चौडाई के रास्ते को अपनी अपनी हिस्से की भूमि व मकानात आदि में आने जाने के लिए कदीम से ही उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 928, 930 के बतरफ पश्चिमी हिस्से से तथा खसरा नम्बर 933 , 930 के मध्य की सींव डोल से तथा खसरा नम्बर 930 व 395 के मध्य की सींव डोल से होता हुआ खसरा नम्बर 935 में वादी संख्या 3 व 4 के मकानात तक जाता है जो वर्तमान में भी मौके पर कायम है।

4. वादीगण तरतीबी प्रतिवादी से प्रतिवादीगण का घरेलू बातो को लेकर तथा उक्त रास्ते को पक्का सडक बनाने को लेकर मनमुटाव हो गया है जिस कारण अब प्रतिवादीगण वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी से दुर्भावना रखने लग गये है तथा सामलाती भूमि में बने उक्त रास्ते के वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में अडचन पैदा करने लग गये है।

5. वादीगण दिनांक 15.07.2018 को अपने हिस्से की भूमि में कृषि कार्य कर वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ते में अपने मकानात में जा रहे थे तब समस्त प्रतिवादीगण ने वादीगण का उक्त रास्ते में जाने से रोकने लग गये तब वादीगण ने उन्हे ऐसा करने से मना किया तो वे वादीगण के साथ झगडा फिसाद करने को आमदा हो गये तथा उन्हे बडी मुश्किल से समझा बुझाकर वादीगण ने शांत किा तथा उन्हे वादग्रस्त आराजी का बटवारा कराने को कहा तो उन्होने बंटवारा कराने से इंकार कर दिया तथा वादीगण को एलानियां धमकी दी कि वे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करके उक्त रास्ते से आने–जाने नही देगें।

6. यह है कि प्रतिवादीगण अपने मनसूबों में सफल हो गये तो वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर देगें। जिससे पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी इस कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

7. अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 928 लगायत 935, 937 कुल किता 9 रकबा 2. 54 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का मौके की कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से वकील प्रतिवादीगण उपस्थित आये। दिनांक 05.03.2020 वकील प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण की ओर से हिदायत पैरवी नही करना जाहिर किया प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 23.07.2020 को प्रकरण में प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। दिनांक 12.03.2022 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात प्राप्त हुये बटवारा रिर्पोट पर वकील वादी को सुना गया वकील वादी ने बंटवारा रिपोर्ट अनुसार प्रकरण को अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है।

अतः बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 928 लगायत 935, 937 कुल किता 9 रकबा 2.54 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. **अशोक कुमार पुत्र घीसालाल हिस्सा 1/6, आची, कमली, धन्नी, फूली, रकमी, सीता, पुत्रीयान गोविन्दा हिस्सा 6/132, बंशीधर, छोटूराम, जीवणराम, बाबूलाल पि0 गोविन्दा रहिन आरएमजीबी राडावास हिस्सा 104/528, झूमा पत्नी भगवाना हिस्सा 1/38, झूमा पत्नी शिवसहाय हिस्सा 26/1584, प्रहलाद सहाय, रामलाल, रामेश्वर पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/9 रहिन आरएमजीबी राडावास, तीजा देवी पत्नी गोविन्दा हिस्सा 1/24, बनवारीलाल पुत्र जवाहरलाल हिस्सा 1/36 रहिन ओबीसी चौमू, भागोती, मंजू पुत्रीयां जवाहरलाल हिस्सा 1/18, मुकेश, रामकुंवार पि0 जवाहरलाल रहिन आरएमजीबी राडावास हिस्सा 1/18 मनभरी पत्नी जवाहरलाल हिस्सा 1/36 बिला रहन, राजू जाट, रामस्वरूप पुत्रान शिवसहाय हिस्सा 52/1584 रहिन आरएमजीबी राडावास, श्रवण, हरिनारायण पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/12, हंसाराम पुत्र पोखर हिस्सा 1/9 रहिन आरएमजीबी राडावास जाति जाट सा. देह के बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 928/1 रकबा 0.01, 928/3 रकबा 0.086, 929 रकबा 0.015, 930/1 रकबा 0.06, 930/3 रकबा 0.6305, 931 रकबा 0.09, 932 रकबा 0.20, 933/1 रकबा 0.0310 कुल किता 8 रकबा 1.2575 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**

2. **आराजी खसरा नम्बर 928/2 रकबा 0.004, 930/2 रकबा 0.0120, 933/2 रकबा 0.009 कुल किता 3 रकबा 0.133 है0 भूमि सामलाती में रहेगी।**

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

2. वाद पत्र के जिमन संख्या–1 में वर्णित आराजी को वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है वादी संख्या 3 व 4 ने अपने हिस्से की भूमि में आवास एवं कृषि पैदावार रखने के लिए पुख्ता मकानात खसरा नम्बर 935 में बना रखे है तथा उक्त खसरा नम्बर 935 में अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई के लिए व पानी पीने के लिए बोरिंग करा रखा है तथा उसमे कृषि विद्युत कनेक्शन लगा रखा है तथा मकान में घरेलू कनेक्शन ले रखा है।

3. वाद संख्या के जिमन संख्या–1 में वर्णित आराजी में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित 12 फुट चौडाई के रास्ते को अपनी अपनी हिस्से की भूमि व मकानात आदि में आने जाने के लिए कदीम से ही उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 928, 930 के बतरफ पश्चिमी हिस्से से तथा खसरा नम्बर 933 , 930 के मध्य की सींव डोल से तथा खसरा नम्बर 930 व 395 के मध्य की सींव डोल से होता हुआ खसरा नम्बर 935 में वादी संख्या 3 व 4 के मकानात तक जाता है जो वर्तमान में भी मौके पर कायम है।

4. वादीगण तरतीबी प्रतिवादी से प्रतिवादीगण का घरेलू बातो को लेकर तथा उक्त रास्ते को पक्का सडक बनाने को लेकर मनमुटाव हो गया है जिस कारण अब प्रतिवादीगण वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी से दुर्भावना रखने लग गये है तथा सामलाती भूमि में बने उक्त रास्ते के वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में अडचन पैदा करने लग गये है।

5. वादीगण दिनांक 15.07.2018 को अपने हिस्से की भूमि में कृषि कार्य कर वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ते में अपने मकानात में जा रहे थे तब समस्त प्रतिवादीगण ने वादीगण का उक्त रास्ते में जाने से रोकने लग गये तब वादीगण ने उन्हे ऐसा करने से मना किया तो वे वादीगण के साथ झगडा फिसाद करने को आमदा हो गये तथा उन्हे बडी मुश्किल से समझा बुझाकर वादीगण ने शांत कि तथा उन्हे वादग्रस्त आराजी का बटवारा कराने को कहा तो उन्होने बंटवारा कराने से इंकार कर दिया तथा वादीगण को एलानियां धमकी दी कि वे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करके उक्त रास्ते से आने–जाने नही देगें।

6. यह है कि प्रतिवादीगण अपने मनसूबों में सफल हो गये तो वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर देगें। जिससे पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढेगी इस कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

7. अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 928 लगायत 935, 937 कुल किता 9 रकबा 2.54 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का मौके की कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से वकील प्रतिवादीगण उपस्थित आये। दिनांक 05.03.2020 वकील प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण की ओर से हिदायत पैरवी नही करना जाहिर किया प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 23.07.2020 को प्रकरण में प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। दिनांक 12.03.2022 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात प्राप्त हुये बटवारा रिर्पोट पर वकील वादी को सुना गया वकील वादी ने बंटवारा रिपोर्ट अनुसार प्रकरण को अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है।

अतः बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 928 लगायत 935, 937 कुल किता 9 रकबा 2.54 है0 वाकै ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. **अशोक कुमार पुत्र घीसालाल हिस्सा 1/6, आची, कमली, धन्नी, फूली, रकमी, सीता, पुत्रीयान गोविन्दा हिस्सा 6/132, बंशीधर, छोटूराम, जीवणराम, बाबूलाल पि0 गोविन्दा रहिन आरएमजीबी राडावास हिस्सा 104/528, झूमा पत्नी भगवाना हिस्सा 1/38, झूमा पत्नी शिवसहाय हिस्सा 26/1584, प्रहलाद सहाय, रामलाल, रामेश्वर पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/9 रहिन आरएमजीबी राडावास, तीजा देवी पत्नी गोविन्दा हिस्सा 1/24, बनवारीलाल पुत्र जवाहरलाल हिस्सा 1/36 रहिन ओबीसी चौमू, भागोती, मंजू पुत्रीयां जवाहरलाल हिस्सा 1/18, मुकेश, रामकुंवार पि0 जवाहरलाल रहिन आरएमजीबी राडावास हिस्सा 1/18 मनभरी पत्नी जवाहरलाल हिस्सा 1/36 बिला रहन, राजू जाट, रामस्वरूप पुत्रान शिवसहाय हिस्सा 52/1584 रहिन आरएमजीबी राडावास, श्रवण, हरिनारायण पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/12, हंसाराम पुत्र पोखर हिस्सा 1/9 रहिन आरएमजीबी राडावास जाति जाट सा. देह के बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 928/1 रकबा 0.01, 928/3 रकबा 0.086, 929 रकबा 0.015, 930/1 रकबा 0.06, 930/3 रकबा 0.6305, 931 रकबा 0.09, 932 रकबा 0.20, 933/1 रकबा 0.0310 कुल किता 8 रकबा 1.2575 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**

2. **आराजी खसरा नम्बर 928/2 रकबा 0.004, 930/2 रकबा 0.0120, 933/2 रकबा 0.009 कुल किता 3 रकबा 0.133 है0 भूमि सामलाती में रहेगी।**

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

3. घीसाराम पुत्र नारायण हिस्सा 1/2, गंगाराम, बलदेव पुत्र पोखर हिस्सा 1/4, बक्साराम पुत्र पोखर रहिन आरएमजीबी चौमूं हिस्सा 1/8 रामसहाय पुत्र पोखर रहिन एसबीआई चौमूं हिस्सा 1/8 जाति जाट सा.देह के बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 930/4 रकबा 0.1175, 934 रकब 0.01, 935/1 रकबा 0.9570, 935/2 रकबा 0.0230, 937 रकबा 0.15 कुल किता 5 रकबा 1.2575 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

4.

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलंन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16-9-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.